२

01/08/19 पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। मजीद बहस सुनी गई वादी भावराम वगैरह द्वारा R.T. Act की धारा 188 के तहत वाद पेश कर निवेदन किया गया कि सरहद मौजा जोड़वास तहसील रानीवाड़ा में वादी की संयुक्त एवं शामलाती खातेदारी आराजी नवीन ख.नं. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 कुल रकबा 3.85 है. स्थित है, उक्त आराजी में वह संयुक्त खातेदार है। वादी के पड़ोस में प्रतिवादी सं. एक की शामलाती संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 167, 182 कुल क्षेत्रफल 5.67 है. स्थित है। तथा वादीगण की ख.नं. 158 व प्रतिवादी के ख.नं. 157 की सीमा लगती है। प्रतिवादीगण वादी के ख.नं. 158 की उत्तरी भाग को खुर्द-बुर्द कर अपनी आराजी में मिलाने पर आमादा है। प्रतिवादी सं.1 व अन्य सहखातेदारान ने वादी की संयुक्त आराजी ख.नं. 158 की उत्तरी भाग को नष्ट किया है। वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। जिसकी मनाही लगने पर प्रतिवादीगण ने ख.नं. 158 के अन्दर दिनांक 03.11.2015 को अवैध निर्माण करने हेतु नींव खोदने का कार्य शुरू किया है। अतः वादी की संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि में

Contd...

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

किस्म मुकदमा :- ..............................................

मुकदमा नम्बर :- .............................................. / 2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अ... की |
|---|---|---|
| | प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे कि वे वादी गण की आराजी मे न तो स्वयं कोई निर्माण कार्य करे तथा न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे तथा न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे तथा न ही उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई प्रतिवादीगण दखल करे तथा न ही किसी अन्य से दखल करावे।<br>प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी मावाराम द्वारा दिनांक 20.12.17 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा दस्तावेज Exhibit करवाये गये। Ex-1 जमाबन्दी 2071-74 ग्राम जोड़वास अनुसार वादी उपरोक्तानुसार ख.नं. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 में संयुक्त सहखातेदार है तथा Ex-2 नक्शा किश्तवार के अनुसार वादी गण व प्रतिवादीगण की खातेदारी सीमाएं मिलती है। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। समस्त पत्रों पर गौर करने के बाद न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कि वादी एवं उसकी संयुक्त खातेदारी ग्राम जोड़वास के ख.नं. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 कुल रकबा 3.85 है.-- | |

(हस्ताक्षर) लगातार

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ..........................................................................................

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मैं प्रतिवादीगण नेथी वल्द खुमाजी, बेचरा वल्द पूना, हकमा पत्नी नेथीजी स्वयं ने तथा कोई निर्माण कार्य करे एवं न ही किसी अन्य से कोई निर्माण कार्य करावे। तथा न ही उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे कास्त में कोई प्रतिवादीगण दखल करे तथा न ही किसी अन्य से दखल करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.26 20:57:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: